न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 62 / प्रा.पत्र / 2023 (GCMS No. 2023 / 96)	04.04.2023	04.03.2024

बैंक ऑफ बडौदा,
शाखा कार्यालय, लाखेरी
जिला बून्दी (राजस्थान)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स गणेश ट्रेडर्स एण्ड इंडस्ट्रीज,
पता–प्लाट नं. एफ–27 इंडस्ट्रीयल एरिया, मुख्य मार्केट,
सुमेरगंजमण्डी, तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी (राज.)
जर्ये प्रोपराईटर स्व.गणेश प्रसाद अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल

मृतक जरिये कानूनी वारिस –
1.श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व.गणेश प्रसाद अग्रवाल
2.श्री योगेश सिंघल पुत्र स्व.गणेश प्रसाद अग्रवाल
3.श्रीमती छाया पुत्री स्व.गणेश प्रसाद अग्रवाल
4.श्री जितेश अग्रवाल पुत्र स्व.गणेश प्रसाद अग्रवाल
निवासीगण मुख्य मार्केट सुमेरगंजमण्डी, तहसील इन्द्रगढ

– अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से श्री आनन्द सिंह नरूका, एडवोकेट।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बैंक ऑफ बडौदा, शाखा लाखेरी से अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.06.2018 को रूपये 50,00,000/– एवं दिनांक 23.06.2021 को 10,00,000/– कुल 60 लाख का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति स्वर्गीयश्री गणेश प्रसाद अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट नं. एफ–27 जो औद्योगिक क्षेत्र सुमेरगंजमण्डी, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2814 वर्गमीटर है एवं अन्य बंधक सम्पत्ति स्वर्गीयश्री गणेश प्रसाद अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट नं. एफ–28 जो औद्योगिक क्षेत्र सुमेरगंजमण्डी, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2804 वर्गमीटर है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 19.09.2022 w.e.f. from 05.02.2021 को अकियान्विति आस्ति NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में रू. 63,93,855.39/– बकाया रकम दिनांक 05.12.2022 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.12.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया । इसके बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी/ बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2)के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया, इसके बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की हैं। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा–14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था बैंक ऑफ बडौदा शाखा लाखेरी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति स्वर्गीयश्री गणेश प्रसाद अग्रवाल पुत्र मोतीलाल अग्रवाल के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट नं. एफ–27 जिसका क्षेत्रफल 2814 वर्गमीटर है एवं प्लाट नं. एफ–28 जिसका क्षेत्रफल 2804 वर्गमीटर है, जो औद्योगिक क्षेत्र सुमेरगंजमण्डी, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पर स्थित है, (जिसकी चतुरसीमा इस प्रकार है, उत्तर में–पीडब्ल्यूडी रोड, दक्षिण में–आम रास्ता रोड, पूर्व में–प्लाट एवं पश्चिम में–प्लाट व आम रास्ता) का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्ब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी
जिला कलक्टर बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)